फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (जस्सी का बास)
(गांव की मुख्य आबादी से धर्मपाल मिठारवाल के घर तक)

किस्म मुकदमा :– गै.मु.रास्ता धारा 131 व 132 मु०नं० 03 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2025	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/6972 दिनांक 18.12.2024 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकार/खातेदारान को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.01.2025 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
10.01.2025	पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/6972 दिनांक 18.12.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम जस्सी का बास पटवार मण्डल ठीकरिया तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 1.06 हैक्ट. किस्म चाही-I में से 0.0144 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 698/71 रकबा 0.2856 हैक्ट0 किस्म चाही-I में से 0.0150 हैक्ट., खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.3836 हैक्ट. किस्म चाही-I मे से 0.0048 हैक्ट., खसरा नम्बर 84 रकबा 0.43 हैक्ट. किस्म बारानी उत्तम मे से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 82 रकबा 0.51 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.0084 हैक्ट. तथा खसरा नम्बर 75 रकबा 0.13 हैक्ट. किस्म चाही-I मे से 0.0048 हैक्ट. रास्ता कुल 03 मीटर चौड़ा व 190 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत ठीकरिया का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, तथा खसरा	

Scanned with OKEN Scanner

नम्बरान 67, 698/71, 74/2, 84, 82, 75 के खातेदारान द्वारा रास्ता देने के लिए एवं रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारी भूमि मे रखे जाने बाबत् सहमती पत्र मय स्टाम्प पत्र पर पेश किया है प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित **प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस** आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना